न्यायालय, अंचल अधिकारी, चतरा

वाद का प्रकार– विविधवाद
वाद सं0:– 03/2022–23

प्रथम पक्ष– मुनेश्वर माली,
पिता– स्व0 बढ़न माली,
साकिन मौजा– जैनपुर

बनाम

द्वितीय पक्ष– उर्मिला देवी,
पति– विरेन्द्र मालाकार,
साकिन मौजा– जैनपुर

प्रश्नगत् भूमि का विवरण :–

मौजा–जैनपुर, थाना नं0–137, खाता नं0–13, प्लॉट सं0–191, रकवा–0.03 ए0।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख– सहित
15.03.23	वाद का संधारण भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के पत्रांक–140, दिनांक–16.06.2023 के आलोक में आवेदक मुनेश्वर माली, पिता–स्व0 बढ़न माली, साकिन–जैनपुर, चतरा के अभ्यावेदन पर किया गया। उभय पक्ष को सुनवाई हेतु मूल कागजात के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर अपना–अपना कारण पृच्छा दाखिल किया गया एवं तर्क भी सुना गया। प्रथम पक्ष अपने लिखित बहस में उल्लेख करते है कि मौजा–जैनपुर, थाना सं0–137, खाता सं0–13, प्लॉट सं0–191, रकबा–0.03 ए0 भूमि आवेदक की मां स्व0 मसोमात टुपुरूवा मालिन, पति–स्व0 बढ़न माली द्वारा विक्रेता मसोमात रईशन, पति–मो0 हतिश मियां से केवाला सं0–4140 दिनांक–06.09.1979 को क्रय किया, जिसका चौहद्दी उ0–बिहारी माली, द0–पेमा बढ़ही, पु0–लालमन साव, प0–गैरमजरूआ भूमि है। उक्त भूमि आवेदक के दखल–कब्जा मे है। विपक्षी उर्मीला देवी के पिता– स्व0 देवा माली(आवेदक का भाई) के द्वारा उक्त भूमि का केवाला जो आवेदक के मां के नाम से है को छिपाकर देने के कारण क्रय की गई भूमि का दाखिल–खारिज नहीं हो सका। आवेदक का भाई	

C:C issued

स्व0 देवा माली के द्वारा साजिश कर दिनांक–17.01.1996 को अपनी पुत्री उर्मीला देवी के नाम से उक्त भूमि को पुनः विक्रेता मसोमात रईशन के पुत्र सउद आलम से अवैध केवाला के माध्यम से क्रय कर दाखिल–खारिज करवा लिया गया, जिसका केस सं0–176/2001–02 है। आवेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि विपक्षी उर्मीला देवी द्वारा तथ्यों को छिपा कर जमाबंदी कायम करा लिया गया है, जबकि मसोमात टुपुरवा मालिन, पति–स्व0 बढ़न माली के द्वारा उक्त भूमि का केवाला विपक्षी के केवाला से पूर्व का है। अतः विपक्षी उर्मीला देवी के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द कर आवेदक के मां टुपुरवा मालिन के नाम से जमाबंदी कायम किया जाय।

विपक्षी द्वारा अपने लिखित बहस में उल्लेख किया गया है कि मौजा–जैनपुर, थाना सं0–137, खाता सं0–13, प्लॉट सं0–191, रकबा–0.03 ए0 भूमि का क्रय वर्ष 1996 में सहुद आलम से खरीदगी किये है, जिसका नियमसंगत दाखिल–खारिज करा कर पंजी–2 के पृष्ठ सं0–220/2 पर जमाबंदी कायम हो लगान रसीद निर्गत होता आ रहा है। विपक्षी द्वारा उल्लेख किया गया है कि मुनेश्वर माली, पिता–स्व0 बढ़न माली के द्वारा फर्जी कागज बनाकर हथियाना चाह रहे है, जबकि हमारे केवाला में ग्वाहन में उक्त व्यक्ति का नाम अंकित है।

उक्त के आलोक में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–जैनपुर, थाना सं0–137, खाता सं0–13, प्लॉट सं0–191, कुल रकबा–0.03 ए0 भूमि सर्वे खतियान में चमारी ग्वाला वो बुधन गोवाला, पिता–हरेदयाल गोवाला के नाम दर्ज है, जिसकी जमाबंदी ऑनलाईन पंजी–2 के पृष्ठ सं0–220/2 पर मौजा–चैनपुर, खाता सं0–13, प्लॉट सं0–191, रकबा–0.03 ए0 भूमि उर्मीला देवी, पति–विरेन्द्र मालाकार के नाम से कायम है। प्राधिकार कॉलम में दाखिल–खारिज केस सं0–176/2001–02 अंकित है। मुनेश्वर माली द्वारा उक्त भूमि से संबंधित केवाला प्रस्तुत किया गया है, जिसमें खाता सं0–13, प्लॉट सं0–191, रकबा–0.03 ए0 भूमि अंकित है, जिसका दाखिल–खारिज नहीं हुआ है। उक्त केवाला के आधार पर मुनेश्वर माली द्वारा प्रश्नगत भूमि पर दावा किया जा

Scanned with OKEN Scanner

रहा है, जबकि खतियान में प्लॉट सं0–191 का कुल रकबा–03 डि ही है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत राजस्व कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि:–

(1) प्रश्नगत भूमि मौजा–चैनपुर, थाना सं0–137, खाता सं0–13, प्लॉट सं0–191, कुल रकबा–0.03 ए0 भूमि रैयती खाते की भूमि, आवेदक मुनेश्वर माली, पिता–स्व0 बढ़न माली द्वारा केवाला सं0–4140, दिनांक–06.09.1979 के द्वारा विक्रेता मसोमात रईसन, पति–मो0 हतीस मियां से क्रय किए है एवं दावा किया जा रहा है, जिसका दाखिल–खारिज हो कर जमाबंदी कायम नहीं हुआ है।

(2) द्वितीय पक्ष उर्मिला देवी, पति–विरेन्द्र मालाकार द्वारा प्रश्नगत भूमि को केवाला सं0–291, दिनांक–17.01.1996 के द्वारा विक्रेता मो0 सउद आलम, पिता–अब्दुल रउफ से क्रय किए जाने के पश्चात दावा किया जा रहा है, जिसका दाखिल–खारिज वाद सं0–176/2001–02 के आलोक में पंजी–2 के पृष्ठ सं0–220/2 पर जमाबंदी कायम हो कर लगान रसीद निर्गत हो रहा है।

(3) चुंकि प्रश्नगत भूमि मौजा–चैनपुर, थाना सं0–137, खाता सं0–13, प्लॉट सं0–191 का कुल रकबा–0.03 ए0(तीन डिसमील) ही है एवं रैयती खाता की भूमि है, जिसपर उभय पक्ष द्वारा विभिन्न केवाला के आधार पर एक हीं भुखण्ड पर दावा किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत केवाला विपक्षी के केवाला से पूर्व का है, जिससे मामला हक–हकियत एवं स्वत्व निर्धारण का बनता है, जिसके लिए प्रथम पक्ष को व्यवहार न्यायालय जाना उचित होगा।

अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

15/03/23

अंचल अधिकारी
चतरा।

15/03/23

अंचल अधिकारी
चतरा।

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.19 20:15:39 -07:00
Location: 192.168.1.41

Scanned with OKEN Scanner